

गृह (ग्रुप-6) विभाग

राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक 278/

दिनांक 20/12/18

क्रमांक :- प.35(1)गृह-9/2006पार्ट

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-9) विभाग

जयपुर, दिनांक:-

5 DEC 2018

--: अधिसूचना :-

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि इस समय राज्य में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। दिनांक 07.12.2018 को मतदान एवं दिनांक 11.12.2018 को मतगणना का कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित है। जिसके लिये पुलिस आयुक्त, जोधपुर द्वारा धारा 144 के तहत जारी की गई निषेधाज्ञा की अवधि दिनांक 15.12.2018 तक बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः पुलिस आयुक्त, जोधपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक पु.आ. जोध/विशा/विविध/2018/1517-91 दिनांक 06.10.2018 की अवधि एतद्वारा दिनांक 15.12.2018 तक बढ़ाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(सुबेसिंह यादव)

विशिष्ट शासन सचिव

गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस आयुक्त, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक पु.आ. जोध/विशा/विविध/2018/1517-91 दिनांक 06.10.2018 एवं दिनांक 29.11.2018 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को दिनांक के आसाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सीडी।
5. उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

(सुबेसिंह यादव)

विशिष्ट शासन सचिव

गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

5 DEC 2018